न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 88 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 223

प्रार्थीगण

1 आसुराम पुत्र रावताराम फौत
के कायम मुकाम
क–झेणीदेवी पत्नी आसुराम
ख–मंगलाराम पुत्र आसुराम
ग–तलकाराम पुत्र आसुराम
घ–दिनेश कुमार पुत्र आसुराम
जातियान–मेघवाल, निवासीगण–
झेरड़ियावास सांचौर, तहसील–सांचौर

2 जवाराराम पुत्र रावताराम
क–सीतादेवी पत्नी जवाराराम
ख–चुनाराम पुत्र जवाराराम
ग–घमण्डाराम पुत्र जवाराराम
घ–कैलाश कुमार पुत्र जवाराराम
जातियान–मेघवाल, निवासीगण–
झेरड़ियावास सांचौर, तह–सांचौर

3 पनाराम पुत्र रावताराम फौत
क–रमेश कुमार पुत्र पनाराम
ख–बाबुलाल पुन पनाराम
ग–पोपटलाल पुत्र पनाराम
घ–सांवलाराम पुत्र पनाराम
जातियान–मेघवाल, निवासीगण–

अप्रार्थीगण

1 दयाराम पुत्र भोजाराम फौत
के कायम मुकाम
क–मुंगाराम पुत्र दयाराम
ख–मोहनलाल पुत्र दयाराम
ग–गवाराम पुत्र दयाराम
घ–हरदाराम पुत्र दयाराम फौत
के कायम मुकाम
क–प्रकाश पुत्र हरदाराम
ख–किशनलाल पुत्र हरदाराम
ग–सुरेश पुत्र हरदाराम
जातियान–मेघवाल, निवासीगण–
झेरड़ियावास सांचौर, तहसील–सांचौर

2 मेघाराम पुत्र राजाराम, जाति–मेघवाल
निवासी–झेरड़ियावास सांचौर, तहसील–सांचौर

3 कालाराम पुत्र गणेशाराम, जाति–भील
फौत के कायम मुकाम
क–नरसिंग पुत्र रायमल फौत के कायम मुकाम
क–रतनलाल पुत्र नरसिंग, जाति–भील,
निवासी–शिव शक्ति नगर सांचौर

5 नरपत पुत्र खंगाराराम, जाति–मेघवाल
निवासी–बड़सम रोड़ सांचौर, तह–सांचौर

6 तहसीलदार (भूमिधारी) सांचौर

7 रूघनाथराम पुत्र हमीराराम, जाति–
मेघवाल, निवासी–[illegible] तहसील–सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख :– **25.10.2024**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 (क, ख, ग, घ घ/क, घ/ख, घ/ग) 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल गोदारा उपस्थित।

3. अप्रार्थीगण संख्या 3, 4 (क/क), 5, 6, 7 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 08.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांचौर में नवीन खाता संख 184 में खसरा संख्या 2305, 2282, 2286, 2287, 2289, 2298, 2291, 2384 तथा मौजा माखुपूरा में नवीन खाता संख्या 154 में नवीन खसरा संख्या 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882 खातेदारी भूमि आयी हुई है। उक्त भूमि में रावता पुत्र भोजा का 2/3 हक हिस्सा है। उक्त खातेदारी भूमि को हड़प करने की मंशा अप्रार्थीगण की शुरू से थी जिन्होंने अपनी मनमर्जी से सरहद मौजा सांचौर के खसरा संख्या 2305, 2282, 2286, 2287, 2289, 2298, 2291, 2384 एवं सरहद मौजा माखुपुरा के खसरा संख्या 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882 का बंटवाड़ा करवाने का दस्तावेज अपनी मनमर्जी से बनाया जिसमें हमारा 2/3 हक हिस्से के मुताबिक रकबा नहीं लिखा एवं सरहद मौजा माखुपुरा की जमीन हमारे बंट में नहीं थी। हमारे पूर्वज अनपढ़ थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। अपने अंगुष्ठ निशान करते थे तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी मनमर्जी से लिखे गये बंटवाड़े पर हमारे पूर्वजों के अंगुष्ठ निशान है। अप्रार्थीगण उक्त दोनों खातेदारी भूमियों के हमारे शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हम प्रार्थीगण अधिकारी होने से दावा बाबत् जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है। अप्रार्थीगण ने मनमर्जी से धोखे में रखकर हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया तथा हम प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.06.2024 को सहमति से हक हिस्से अनुसार खातेदारी भूमि दर्ज करवाने का निवेदन अप्रार्थीगण से किया तो अप्रार्थीगण ने हक हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया जिसमें प्रार्थीगण के खातेदारी हक खतरे में पड़ गये है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के नहीं रोक गया तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हक, हिस्से में बंट को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान, रहन, तर्क, वसीयत आदि कर प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से से वंचित कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों–पैसों या दृव्यों में करना कतई मुमकिन नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा सांचौर व सरहद मौजा माखुपुरा में स्थित वादीगण के हक, हिस्से की आराजी में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें व प्र[illegible]क हिस्से को किसी बैचान, रहन, तर्क, वसीयत आदि नहीं [illegible] की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद के कायम रखे व रखावें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:54 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 (क, ख, ग, घ (क, ख, ग)) 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन एवं मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

मैंने अधिवक्ता एकपक्षीय बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **08.10.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:54 IST
Reason: SelfAttested